

॥कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बदीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

पत्रांक 5725 / 12-1 दिनांक, गोपेश्वर, जून / 20 / 2022

सेवा में,

अधिरासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
थराली।

विषय:- **Date and stage of application of the revised rates of Net present Value (NPV)-reg.**
संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक, (गढ़वाल), उत्तराखण्ड पौड़ी की पत्र संख्या-2183/12-1 दिनांक 25-04-2022.

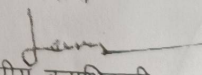
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की पत्र सं०-5-3/2011-एफ०सी०(voi-i) दिनांक 19-01-2022 द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों में एन०पी०वी० की देय धनराशि के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। जारी निर्देशों के अनुसार ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण जिनमें 06-01-2017 से पूर्व सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है तथा दिनांक 06-01-2022 तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। ऐसे प्रकरणों में एन०पी०वी० की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है। आपके वन प्रभाग से सम्बन्धित प्रकरण जिनमें एन०पी०वी० की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है जिनका विवरण निम्नानुसार है-

प्रस्ताव का नाम	पूर्व में एन०पी०वी० की जमा धनराशि (रु० में)	एन०पी०वी० की धनराशि में बढ़ोतरी दिनांक 06-01-2022 के अनुसार एन०पी०वी० की दर (रु० प्रति है० में)	हस्तान्तरित वन भूमि (है० में)	06-01-2022 की दरों के अनुसार जमा की जानी वाली धनराशि (रु० में) कॉलम सं० (2x3) के अनुसार	अवशेष जमा की जानी वाली धनराशि (रु० में) कॉलम सं० (4-1) के अनुसार
1	2	3	4	5	6
महाविद्यालय तलवाड़ी से रा०इ०का० तलवाड़ी मोटर मार्ग	465156.00	1005210.00	0.708	711688.68	246532.68

अतः विषयांकित प्रकरण में उपरोक्त टेबिल के कॉलम सं० 06 में अवशेष जमा की जाने वाली धनराशि ऑनलाईन चालान के माध्यम से यथाशीघ्र जमा कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें, ताकि सूचना अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण देहरादून को प्रेषित की जा सके।

भवदीय,


प्रभागीय वनाधिकारी,
बदीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।